पत्रांक–04/क्षे० स्था० विविध (अरा0)–03–15/2023–..................(4)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव।

ई–मेल

सेवा में,

समाहर्त्ता,
कैमूर, भोजपुर, लखीसराय, औरंगाबाद,
भागलपुर, खगड़िया, गोपालगंज, मधेपुरा,
रोहतास, पूर्णियाँ, बांका, गया, बक्सर,
सीतामढ़ी, अररिया एवं सीवान।

पटना–15, दिनांक–..................

विषय – एक ही स्थान पर लंबे समय से पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण करने के संबंध में।

प्रसंग :– गै0स0प्रे0सं0–152/सी0, दिनांक–07.06.2024 एवं 154/सी0, दिनांक–10.06.2024 एवं पत्रांक–242(4), दिनांक–20.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के द्वारा पाँच वर्षो से अधिक समय से एक हल्के में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण अनिवार्य रूप से दूसरे अंचलों में करने तथा शहरी क्षेत्रों में दो वर्षो से अधिक समय से पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण ग्रामीण अंचलों में किये जाने का निदेश दिया गया है। इस संबंध में आपके जिलों से अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है, जिसपर माननीय विभागीय मंत्री द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी है।

अतः प्रासंगिक पत्रों के क्रम में पुनः अनुरोध है कि उक्त के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को दो (02) दिनों के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

ई–मेल

ज्ञापांक :–04/क्षे० स्था० विविध (अरा0)–03–15/2023–............(4)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :–04/क्षे० स्था० विविध (अरा0)–03–15/2023–538 (4)/रा0, पटना–15, दिनांक–30/10/24

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

d:\sec 4\rev. 2024\pramod sir\letter.docx